



प्रेषक,

राकेश कुमार यादव,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक 12 अगस्त, 2026

विषय: जनपद-आगरा में बचपन डे केयर सेन्टर के भवन निर्माण कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में (अन्तिम किश्त)।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1456/दि0ज0स0वि0/निर्माण/बचपन-आगरा/2026-27 दिनांक 23.07.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद-आगरा में बचपन डे केयर सेन्टर के भवन निर्माण कार्य हेतु अवशेष धनराशि रू0 170.09 लाख (रूपये एक करोड़ सत्तर लाख नौ हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2. अवगत कराना है कि जनपद-आगरा में बचपन डे केयर सेन्टर के भवन निर्माण कार्य हेतु मूल्यांकित लागत रू0 435.21 लाख (रूपये चार करोड़ पैंतीस लाख इक्कीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा इस कार्य हेतु प्रथम किश्त के रूप में रू0 100.00 लाख की धनराशि शासनादेश संख्या-55/2024/आई/811844/2024/65-2099/198/2023 दिनांक 03.12.2024 द्वारा एवं उक्त कार्य हेतु रू0 429.88 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-90/2025/आई/1130158/2025/65-2099/198/2023 दिनांक 03.11.2025 द्वारा तथा जनपद-आगरा में बचपन डे केयर सेन्टर के भवन निर्माण कार्य की निविदा प्रक्रिया (टेण्डर कास्ट) के पश्चात् प्राप्त मूल्य रू0 420.09 लाख (रू0 चार करोड़ बीस लाख नौ हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित द्वितीय किश्त के रूप में रू0 150.00 लाख की धनराशि शासनादेश संख्या-36/2026/आई/1253283/2026/65-2099/198/2023 दिनांक 27.02.2026 द्वारा अर्थात् कुल धनराशि रू0 250.00 लाख अवमुक्त की गयी है।

3. अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद-आगरा में बचपन डे केयर सेन्टर के भवन निर्माण कार्य की निविदा प्रक्रिया (टेण्डर कास्ट) के पश्चात् प्राप्त मूल्य रू0 420.09 लाख (रू0 चार करोड़ बीस लाख नौ हजार मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 170.09 लाख (रूपये एक करोड़ सत्तर लाख नौ हजार मात्र) को व्यय किये जाने हेतु आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (i) प्रश्नगत कार्य हेतु धनराशि राज्य बजट से स्वीकृत की जा रही है। धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार व नियमानुसार किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग एवं कार्यदायी संस्था का होगा। स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप सुनिश्चित किया जायेगा।
- (ii) स्वीकृत धनराशि आहरण/व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त आय-व्यय अनुभाग-1 कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 का होगा।
- (iii) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iv) उक्त प्रस्तावित कार्य से संबंधित कोई पुनरीक्षण भविष्य में स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (v) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुये लागत का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग/कार्यदायी संस्था का होगा।
- (vi) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की होगी। यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यों की मानीटरिंग भी की जायेगी।
- (vii) अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किश्तों में किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते इत्यादि में नहीं रखा जायेगा।
- (viii) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा। आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
- (ix) प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय, जिससे टाईम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो। अतः इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (x) आगणन का परीक्षण आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं तदनुसार प्रस्तावित प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिनमें उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि तथा उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा इस आशय का उल्लेख संबंधित स्वीकृति आदेश में भी किया जायेगा।
- (xi) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान एवं भविष्य में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(xii) जिस कार्य/मद में वित्तीय स्वीकृति की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा और इसका समस्त दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0/कार्यदायी संस्था का होगा।

(xiii) निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(xiv) प्रश्नगत स्वीकृति मानक के संबंध में निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है, तो उसका उत्तरदायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0/कार्यदायी संस्था का होगा।

(xv) यह सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0/कार्यदायी संस्था का होगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(xvi) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किये जाने का पूर्ण दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0/कार्यदायी संस्था का होगा।

(xvii) वित्त विभाग के समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों एवं इस शासनादेश में अंकित शर्तों का अनुपालन निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 एवं निदेशालय में तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी/वित्तीय सलाहकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(xviii) प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान योजना से सम्बन्धित राज्य सरकार/भारत सरकार की गाइडलाइन्स का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि पर कार्यदायी संस्था द्वारा जो भी ब्याज अर्जित किया जायेगा, वह नियमानुसार राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(xix) प्रायोजना की लागत का आकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है।

(xx) योजनानर्गत बाटआउटस आइटम्स की श्रेणी से आच्छादित कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था को कोई भी सेन्टेज चार्ज देय नहीं होगा।

(xxi) प्रश्नगत कार्य हेतु आंकलित लागत के अन्तर्गत उल्लिखित शर्तों एवं दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0/कार्यदायी संस्था का होगा।

(xxii) प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा।

(xxiii) शासनादेश संख्या-36/2026/आई/1253283/2026/65-2099/198/2023 दिनांक 27.02.2026 की शर्तें यथावत रहेंगी।

4. उपर्युक्त निर्माण कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-79 के लेखाशीर्ष 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-समाज कल्याण-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-18-बचपन डे केयर सेंटर्स का भवन निर्माण-24-वृहत् निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 में विहित प्रावधानों एवं प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
राकेश कुमार यादव
संयुक्त सचिव।

संख्या/दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार-लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, आगरा।
4. प्रबन्ध निदेशक, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाईन सर्विसेज (उ0प्र0 जल निगम), लखनऊ/ परियोजना प्रबंधक, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाईन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम, आगरा।
5. उपनिदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, आगरा मण्डल, आगरा।
6. जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, आगरा।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/राज्य योजना आयोग-1।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राकेश कुमार यादव
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।